यालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

2024	तारीख दायरा 18.12.2024	तारीख फैसला 15/12/25

तासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– तेज सिंह मीणा आत्मज हजारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा । (वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में खाता नं० 74 पर खसरा नम्बर 382 की 1–08 हेक्टर भूमि वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

2. यह कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में खाता नं० 85 पर खसरा नम्बर 262 की 3–94 हेक्टर भूमि वादी अन्य सहखातेदारानके शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी पेश है।

3. यह कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में खाता नं० 249 पर खसरा नम्बर 714 की 1–08 हेक्टर भूमि वादी अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी पेश है।

4. यह कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में खाता नं० 84 पर खसरा नम्बर 266 की 0–29 हेक्टर, खसरा नम्बर 395/988 की 0–26 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 की 1–47 हेक्टर, खसरा नम्बर 396/987 की 0–02 हेक्टर, खसरा नम्बर 397/989 की 0–13 हेक्टर भूमि कुल 5 किता की 2–17 हेक्टर वादी अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी पेश है।

5– यह कि उपरोक्त भूमि में वादी का नाम तेजमल दर्ज है जब कि वादी का नाम तेज सिंह मीणा है तथा घर का बोलता नाम तेजमल है। इसी कारण वादी को खाद बीज व केसीसी ऋण लेने में व सहायता व मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है।

6– यह कि वादी के आधार कार्ड व वोटर आईडी, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज में का नाम तेज सिंह अंकित है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तेजमल के पर तेज सिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है।

7– यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने अपना नाम दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 14–11–2024 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

8– यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम गलत दर्ज करने पर, तथा दिनांक 14–11–2024 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नहीं करने पर व दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1–कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा की ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में खाता नं0 74 पर खसरा नम्बर 382 की 1–08 हेक्टर भूमि में, खाता नं० 85 पर खसरा नम्बर 262 की 3–94 हेक्टर भूमि में, खाता नं0 249 पर खसरा नम्बर 714 की 1–08 हेक्टर भूमि में, खाता नं0 84 पर खसरा नम्बर 266 की 0–29 हेक्टर, खसरा नम्बर 395/988 की 0–26 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 की 1–47 हेक्टर, खसरा नम्बर 398/987 की 0–02 हेक्टर, खसरा नम्बर 397/389 की 0–13 हेक्टर भूमि कुल 5 किता की 2–17 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तेजमल के स्थान पर तेज सिह दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2–कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता सं0नया 249
2. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता सं0नया 85
3. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता सं0नया 74
4. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता सं0नया 84
5. नकल छाया प्रति आधार कार्ड
6. नकल छाया प्रति पेन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पूर्व में शामिल मिसल है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

करण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादी का न तेजमल के स्थान पर तेजमल उर्फ तेजसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में खाता नं0 74 पर खसरा नम्बर 382 की 1—08 हेक्टर भूमि में, खाता नं० 85 पर खसरा नम्बर 262 की 3—94 हेक्टर भूमि में, खाता नं0 249 पर खसरा नम्बर 714 की 1—08 हेक्टर भूमि में, खाता नं0 84 पर खसरा नम्बर 266 की 0—29 हेक्टर, खसरा नम्बर 395/988 की 0—26 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 की 1—47 हेक्टर, खसरा नम्बर 398/987 की 0—02 हेक्टर, खसरा नम्बर 397/389 की 0—13 हेक्टर भूमि कुल 5 किता की 2—17 हेक्टर भूमि में वादी का नाम तेजमल के स्थान पर तेजमल उर्फ तेजसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

[न्याय]ालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

[पी]ठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– तेज सिंह मीणा आत्मज हजारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा । (वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल नं 132 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में खाता नं0 74 पर खसरा नम्बर 382 की 1–08 हेक्टर भूमि में, खाता नं० 85 पर खसरा नम्बर 262 की 3–94 हेक्टर भूमि में, खाता नं0 249 पर खसरा नम्बर 714 की 1–08 हेक्टर भूमि में, खाता नं0 84 पर खसरा नम्बर 266 की 0–29 हेक्टर, खसरा नम्बर 395 / 988 की 0–26 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 की 1–47 हेक्टर, खसरा नम्बर 398 / 987 की 0–02 हेक्टर, खसरा नम्बर 397 / 389 की 0–13 हेक्टर भूमि कुल 5 किता की 2–17 हेक्टर भूमि में वादी का नाम तेजमल के स्थान पर तेजमल उर्फ तेजसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 15/12/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद